संख्या- 2337/69-1-98-25 (बजट)/98

प्रेषक,

श्री मुनीन्द्र कुमार सिंह,
अनुसचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

सचिव/निदेशक,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र. लखनऊ।

लखनऊ दिनांक : 27 नवम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1998-99 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में रू. 1,62,95,000/- (रूपये एक करोड़ बासठ लाख पच्चानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनरशि लाख रुपये में)

	सामान्य मद	एस.सी.पी.	योग
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	100.00	62.95	162.95
योग-	**100.00**	**62.95**	**162.95**

2. योजनान्तर्गत उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(1) यह कि उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

(2) उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से 31 दिसम्बर, 1998 तक अवश्य कर लिया जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक/सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ, द्वारा प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा

और यथा स्थिति मार्ग निर्देशानुसार संबंधित जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से स्थानीय निकायों को आवंटित की जायेगी।

(4) प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ.प्र. इलाहाबाद का आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(5) इस धनराशि का उपयोग शासनादेश निर्गत होने की तिथि में एक वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य कर लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित/दुरुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो एक मुश्त शासन को वापस करनी होगी।

(6) सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ, आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

3. उपरोक्त पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा-शीर्षक के नाम डाला जायेगा:-

"2230"-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार -101-रोज़गार संख्या-01-केन्द्रीय आयोजनगत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0113-स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन		
20-सहायक अनदान/राज सहायता-	रु.	1,00,00,000
0114-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हेतु राज्य नागर विकास / अभिकरण को अनुदान-		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रु.	62,95,000
योग-	रु.	**1,62,95,000**

(रुपये एक करोड़ बासठ लाख पच्चानबे हजार मात्र)

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी- 1-3312/दस-238/98, दिनांक 27.7.98 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनु. सचिव

संख्या-2337 (1)/69-1-98-25 (बजट)/98, तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।

(2) निदेशक, (ई.एण्ड.पी.ए.), भारत सरकार, नई दिल्ली।

(3) निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू पार्क, इलाहाबाद।

(4) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण (अनुभाग-6, वित्त) (आय-व्ययक), अनुभाग-2, नियोजन अनुभाग-1/2/4

(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, राज्य नागर विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।

(8) गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(मुनीन्द्र कुमार सिंह
अनु. सचिव)